प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24—12—2020

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या—12 सहारनपुर द्वारा 03 अभि0गण को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः—

अवगत कराना है, कि दिनांक 01.05.2014 को वादी यशपाल सिंह पुत्र सोढल सिंह नि0 डाडा जलालपुर थाना कोतवाली भगवानपुर जिला हरिद्वार की पुत्री रूपा उम्र 25 वर्ष से ऊपर अभियुक्तगण 1—दीपक पुत्र लच्छीराम 2—सुरेश पुत्र जहारू 3—ज्ञानो पत्नी सुरेश निवासीगण चुनहेटी शेख थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा मिटटी का तेल डालकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 124/2014 धारा 304बी,498ए भादवि व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में थाना गागलहेडी पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 50/2015 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—12 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—12 स0पुर द्वारा आज दिनांक 24.12.2020 को अभियुक्तगण 1—दीपक पुत्र लच्छीराम 2—सुरेश पुत्र जहारू 3—ज्ञानो पत्नी सुरेश को मु0अ0स0 124/2014 धारा 304बी,498ए भादवि व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।